


~~XXXX~~(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.2197-तीन/14

जिला-सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-7-15	आवेदक की ओर से बार बार सूचना देने के का बाद भी कोई उप.नहीं । प्रकरण आदेशार्थ ।  सदस्य	
4-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरान्त आवेदक की अनुपस्थिति में यह अदम पैरवी में खारिज किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।  सदस्य	



CPJ

न्यायालय श्रीमान ~~अमिताभ केशवानी~~ ~~अधिकारी~~ महोदय, सागर

R- 2197- III/14

विजय कुमार वल्द मुन्नालाल गुप्ता आयु 84 साल
निवासी सदर बाजार, सागर तहसिल सागर == अनावेदक ।

बनाम

पुनरीक्षण कर्ता

अमित केशवानी वल्द हरिओम केशवानी
निवासी सदर बाजार, सागर == अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 40 मं प्रो मू 0 रा 0 से 0

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, सागर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 22-आ/00 वर्ष 2012-13 नाम पदाकार अमित वल्द हरिओम बनाम विजय कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28/11/2014 से दुःखी होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत है -


पुनरीक्षण के सीद्दाप्त तथ्य-

1- यहकि, अमित केशवानी की ओर से तहसीलदार के समक्ष ग्राम बहेरिया साहनी के खन 1713 रकबा 2-02 हे० पर विजय कुमार वगेरह से कबजा दिलार जाने वावद् आवेदन पेश किया जिसका जवाब विजय कुमार द्वारा दिया गया है ।

2- यहकि, आवेदक की ओर से आवेदन पत्र वास्ते श्री कौत केशवानी व राज कुमार केशवानी को पदाकार बनाये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसका जवाब अनावेदक की ओर से नहीं दिया गया है, तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/11/2014 को यह आदेश पारित किया हैकि वर्तमान में श्री कौत स्व राज कुमार कोई स्वत्व नहीं रखते है, तथा ना ही उनका वादग्रस्त मूमि पर नाम दर्ज है, स्व ना ही वह वादग्रस्त

B.O.R.

4 JUL 2014



101
15-7-14
आवेदन क्रमांक 16/7/14
को 21/3/2014 अनुसार 6
यस
16/7/14
DR

21-7-14